निविदा सूचना

पुलिस कार्यालय हमीरपुर में चाय, दूध, मिष्ठान, नमकीन इत्यादि (वेट कैन्टीन) जनरल स्टोर के सामान की बिक्री हेतु नीचें अंकित तिथि को (वित्तीय वर्ष–2023–2024) हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते है ।

2– लिफाफे सीलबन्द टेण्डर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के कार्यालय में **दिनांक 23–05–2023** समयः12.00 बजे तक डाला जायेगा। लिफाफे के ऊपर पुलिस कार्यालय प्रांगण के पास बनी कैन्टीन का टेण्डर ठेकेदार लेना चाहता है, टेण्डर के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चहिये।

3– टेण्डर फार्म प्राप्त करने के लिये निविदा दाता को रूपया 100/– प्रति टेण्डर फार्म हेतु प्रधानलिपिक के पास जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त करना होगा।

4– निविदा **दिनांकः 23–05–2023** समय 13.00 बजे क्षेत्राधिकारी सदर/कार्यालय/लाइन्स हमीरपुर द्वारा खोली जायेगी ।

5– पुलिस अधीक्षक–हमीरपुर को इस बात का पूर्ण अंधिकार होगा कि वह निविदा को स्वीकार कर सकते है अथवा अस्वीकार कर सकते है । अस्वीकार किये गये किसी भी निविदा के लिये पुलिस अधीक्षक–हमीरपुर कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं होगें ।

6– प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धनराशि अर्नेस्टमनी के रूप में संलग्न करना होगा । यह धनराशि निविदा स्वीकार होने के पश्चात तथा ठेकेदार द्वारा जमानत की धनराशि जमा करने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

7– जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी उसे सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नॉन जूडिसियल स्टाम्प पेपर में ठेकेदार को स्वंय भरना होगा जिसके प्रतिबन्धों को मानने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा ।

8– स्वीकृत निविदा वाले ठेकेदार को सूचना मिलने के एक सप्ताह के अन्दर 03 माह का अग्रिम किराया आंकिक पुलिस कार्यालय हमीरपुर के पास जमा करना होगा ।

यदि निविदा स्वीकार होने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार निर्धारित अवधि मे अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नहीं भरता है अथवा जमानत धनराशि जमा नही करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये दूसरे व्यक्ति को निविदा किया जा सकेगा अथवा पुनः निविदा आंमत्रित किये जा सकते है, जिसके लिये पुलिस अधीक्षक–हमीरपुर सक्षम है ।

निविदा शर्ते

ठेका लेने वाले व्यक्ति को प्रतिमाह रिवेट देना होगा । प्रत्येक निविदा में रिवेट की धनराशि दर्शानी होगी कि निविदादाता ठेकेदार कितने धनराशि रिवेट के रूप में प्रतिमाह जमा करायेगा ।

(क)– ठेकेदार को निम्नाकित शर्तो पर आधारित अनुबन्ध पत्र भरना होगा, इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रेषित करे जिसे निम्नांकित शर्ते स्वीकार हो :–

1– उच्चतम दर देने वाले ठेकेदार को ही टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा पानी/बिजली (निर्धारित दर)अलग से देना होगा ।

2– कैन्टीन की साफ सफाई की व्यवस्था स्वंय करनी होगी ।

3 कैन्टीन में बिक्री की जाने वाले वस्तुयें शुद्व, ताजा एवं स्वच्छ होगी तथा खाने–पीने का समान जाली से ढककर रखा जायेगा ।

4– कैन्टीन के माध्यम से किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कोई कच्चा सामान/ वस्तुयें इत्यादि नहीं बेची नहीं जायेगी ।

5– कैन्टीन में कोई नसीली/तस्करी का सामान अथवा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामान वस्तुयें इत्यादि नहीं बेची जायेगी एवं न ही कैन्टीन में बैठाकर इसका प्रयोग किया जायेगा ।

6– कैन्टीन में 18 वर्ष से कम आयु के नौकर को किसी भी दशा में नही रखा जायेगा ।

7– ठेकेदार द्वारा कैन्टीन में कोई भी सामान किसी भी स्थिति में बाजार दर से किसी भी दशा में अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा तथा बेची जाने वाली वस्तुओं का दर सूची में अंकित करना सुनिश्चित करेगें । बाजार दर से अथवा स्वेच्छा से किसी भी वस्तु का मूल्य बढाने पर ठेकेदार का टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

8– ठेकेदार कैन्टीन का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा, उसे स्वयं कैन्टीन चलाना होगा ।

9– दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें कैन्टीन में रखने का ठेकेदार उत्तरदायी होगा ।

10– अनुबन्ध के किसी भी शर्तो का उल्लंघन करते हुये पाये जाने अथवा खराब माल बेचने अथवा अधिक दर पर सामान बेचने कि शिकायत पाये जाने पर अथवा किसी अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार किये जाने पर पुलिस अधीक्षक–हमीरपुर कानूनी कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगें एवं उनका निर्णय मान्य होगा ।

11– निविदा स्वीकृत की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा, परन्तु पुलिस अधीक्षक–हमीरपुर एक माह की अवधि की नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकते है ।

12– ठेकेदार, टेण्डर फार्म किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमाकर प्रधान लिपिक पुलिस कार्यालय से प्राप्त कर सकता है

13– अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) के अधीन कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार को मान्य होगा। न्यायालय के समक्ष न्याय पाने का अधिकार नहीं होगा ।

पत्र संख्या : क–01/2023
दिनांकः मई 16 ,2023

पुलिस अधीक्षक
हमीरपुर

प्रतिलिपिः

1– जिलाधिकारी–हमीरपुर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

2– पुलिस अधीक्षक–बांदा/चित्रकूट/महोबा को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु ।

3– अपर पुलिस अधीक्षक–हमीरपुर को सूचनार्थ ।

4– समस्त क्षेत्राधिकारी–हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5– क्षेत्राधिकारी–सदर/कार्यालय/लाइन हमीरपुर को टेण्डर की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

6– प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन हमीरपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु ।

7– समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष–हमीरपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु ।

8– प्रधान लिपिक/आंकिक हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9– प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि बेवसाइट पर निविदा अपलोड किये जाने हेतु।

10– सलीम अहमद मंसूरी उर्फ गुडडन पुत्र स्व नूर मोहम्मद नि0–ग्वालटोली हमीरपुर।